भोजपुर समाहरणालय (स्थापना प्रशाखा), आरा।

:विज्ञप्ति:-

अमीन संवर्ग के सेवानिवृत कर्मियों के लिए संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 625(4)/रा0 दिनांक 12.06.2018 एवं सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक–03/एम0–63/2013 सा0प्र0–10000/ पटना दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधानो के आलोक में सेवानिवृत अमीन को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम हो, को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अमीन के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रकिया एवं शर्त निम्नवत् हैः–

1. चयन प्रकिया :– संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियो की सेवा प्रथम दो वर्षो के लिए किया जायेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना एवं जिलाधिकारी, भोजपुर द्वारा नियमित नियुक्ति किये जाने तक या 65 वर्ष की उम्र पुरा होने दोना में जो पहले पूर्ण होगा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
2. संविदा के आधार पर नियोजन की उम्र सीमा 60 एवं 65 वर्ष के बीच होगी। इसके पश्चात् विभागीय परिपत्रों/निदेश के आलोक में कार्यो की समीक्षोपरान्त एक–एक वर्ष के लिए सेवा अवधि का विस्तार किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर संविदा नियोजन रदद कर दिया जायेगा।
3. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हे प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+ सेवानिवृति के समय पेंशन पर प्राप्त महँगाई भत्ता की राशि घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई भत्ता का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
4. उपरोक्त पद पर नियोजन विभाग में पूर्व से उपलब्ध आरक्षण रिक्तियों के विरूद्ध किया जायेगा।
5. सरकारी सेवा से सेवानिवृत इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निम्न कागजात सलग्न करते हुए दिनांक 23.7.18 (कार्यालय अवधि) में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से जिलाधिकारी, भोजपुर के पते पर भेज सकते है अथवा हाथों–हाथ वरीय कार्यालय अधीक्षक का कार्यालय, भोजपुर आरा में सीधे प्राप्त करा सकते है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
   क) सेवानिवृति के समय प्राप्त होने वाले वेतन का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल0पी0सी0)
   ख) पेंशन प्राप्ति पी0पी0ओ0 का छायाप्रति
   ग) सेवापुस्त की प्रारम्भ से लेकर अंतिम तक की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   घ) अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र
   ड.) अन्य जिलों के समाहरणालय संवर्ग के सेवानिवृत कर्मी अपना आवेदन सेवानिवृत हुए जिला के जिला पदाधिकारी के माध्यम से अनुशंसा के साथ आवेदन करेंगें।
6. निम्नांकित कोटि के कर्मियो का नियोजन नही किया जा सकेगा–
   (क) जिन पर कोई निगरानी/विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा हो।
   (ख) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
   (ग) जिन पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो।
   (घ) चयन समिति की दृष्टि में जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सक्षम नही होगें।
7. **प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं स्वास्थ्य** की जाँच दिनांक 9.8.18 को 02 बजे **अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय** चयन समिति द्वारा की जायेगी। उक्त तिथि का निर्धारित समय एवं स्थान पर आवेदक गण अपने सभी कागजातों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

10.07.18

जिला पदाधिकारी
भोजपुर, आरा।

Manish/Bablu/Add for com

Scanned by CamScanner

सेवानिवृत कर्मियों का संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन

स्व0 अभिप्रमाणित फोटो

(1) आवेदक का नाम :—

(2) पदनाम (जिस पद से सेवानिवृत हुए है) :—

(3) पिता / पति का नाम :—

(4) जन्म तिथि :—

(5) सेवा में योगदान की तिथि :—

(6) सेवानिवृति की तिथि :—

(7) विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से सेवानिवृत हुए है

(8) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (L.P.C)

(i) वेतनमानः—

(ii) मूल वेतनः—

(iii) ग्रेड पेः—

(9) पेंशन की स्वीकृत राशि—पेंशन+ महँगाई भत्ता आदि (कुल जोडकर)

(10) सेवानिवृति पूर्व विभागीय आरोप / विभागीय कार्यवाही की स्थिति

(11) पत्राचार का पता (मोबाईल नं0 के साथ) :—

(12) आरक्षण / जाति :—

(जाति प्रमाण संलग्न)

(13) आरोप के निष्पादन की स्थिति अधिरोपित दण्ड का विवरणः—

(14) घोषणा :—

मै..शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन में अंकित जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजो की अभिप्रमाणित प्रति पूर्णत सत्य है और उसमें यदि कोई अन्तर आता है और मेरा आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेर / मेरी संविदा नियोजन रदद कर दिया जायगा।

स्थान :—

तिथि :—

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

06.07.18

जिला पदाधिकारी
भोजपुर, आरा।

Manish/Bablu/Add for com

Scanned by CamScanner